फाईल नं0-23-10002(099)/10/2023- 10-आई/407609/2023

संख्या-204 /2023/1299 /001-1299-23-10002-099-10-2023

प्रेषक]

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में]

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

विषय:- अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय]

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5378बी0जी/31बी0-14/2023 दिनांक 14.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद (अनुदान संख्या- 54 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान) में रू0 670.00 लाख के पुर्नविनियोग का प्रस्ताव बी0एम0-9 प्रपत्र सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 14.08.23 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 670.00 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में रू0 670.00 लाख का पुर्नविनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

भवदीय]

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-204 /2023/1299(1) /001-1299-23-10002-099-10-2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

¼अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।